

मत्स्य प्रक्षेत्र

राज्य योजना (चालू योजना)

1. तालाब तथा जलाशय का विकास एवं जीर्णोद्धार - यह एक अम्ब्रेला (Umbrella Scheme) योजना है, जिसमें तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अतिरिक्त फीड बेस्ड फिशरीज योजना, मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन योजना, केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना, समेकित मत्स्य पालन योजना तथा बायोफ्लॉक तालाब निर्माण योजना के साथ-साथ अन्य आवश्यक जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य भी सम्मिलित हैं।

इस योजना के तहत विभागीय मत्स्य बीज का उत्पादन एवं संचयन, स्पॉन का संचयन, मत्स्य बीज उत्पादकों को अनुदान पर फीड एवं फ्राई कैचिंग नेट, जलाशयों एवं नदियों में मत्स्य स्पॉन का इन-सीटू संचयन, मेजर कार्प एवं ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, इनपुट सहित बायोफ्लॉक तालाब निर्माण, सभी जलक्षेत्रों के मत्स्य बीज से आच्छादन हेतु सहायता, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग, अनुदान पर नाव/मोटर चालित नाव, गिलनेट, ग्रो-आउट नेट, केज हाउस, जलाशयों में फ्लोटिंग जेट्टी, केज तथा नई मोटरगाड़ियाँ आदि।

राज्य में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी मत्स्य कृषकों के बीच अनुदान अर्थात् प्रति कि० ग्रा० अधिकतम मो० 25/- रु० की दर पर फ्लोटिंग फीड के वितरण तथा फीड मिल के रख-रखाव/निर्माण/अपग्रेडेशन आदि प्रस्तावित हैं।

राज्य को मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं हैचरी से क्षमता के अनुरूप मत्स्य बीज के उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक मत्स्य स्पॉन उत्पादन एवं उन्नत तथा गुणवत्तापूर्ण मछली बीज हेतु स्थानीय हैचरी संचालकों को प्रजनकों के देखभाल, मत्स्य बीज के उत्पादन में अभिवृद्धि के साथ-साथ हैचरी संचालन में बढ़ते लागत व्यय के लिए इनपुट सहायता, नए मत्स्य बीज हैचरियों का निर्माण, आवश्यकतानुसार हैचरियों (निजी क्षेत्र की भी) की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य एवं मत्स्य प्रक्षेत्र/फार्म के विकास के साथ-साथ हैचरी कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु राशि का प्रावधान है।

जलाशयों/वैसे परित्यक्त खदान जो मछली उत्पादन के योग्य है, में नये केजों का अधिष्ठापन एवं इनपुट उपलब्ध कराना। जलाशयों/खदानों में अधिष्ठापित पुराने केजों का रिमांडलिंग कराते हुए विस्थापित अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों के द्वारा मछली पालन कराया जाएगा। इससे मछुआ परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होगी। समेकित मत्स्य पालन के रूप में मछली-सह-बतख पालन आदि किया जाएगा जिससे इनपुट लागत में कमी होगी और लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय संभावित होगी।

डोरण्डा फिश पार्क एवं मत्स्य निदेशालय प्रांगण सहित बटन तालाब परिसर स्थित उपलब्ध भूमि को Centre of Excellence के रूप में विकसित किये जाने का प्रावधान है।

इसके साथ-साथ अन्य आवश्यक जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य आदि हेतु आगामी **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मो० 13600.00 लाख रु० मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

2. मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना - इस योजना अंतर्गत मुख्य रूप से प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रसार के कार्यक्रम समाहित हैं जिनमें केज मित्रों के माध्यम से सूचना संग्रहण, मत्स्य मित्रों के माध्यम से सर्वे, विभिन्न आँकड़ा संधारण, फिश फीड उठाव तथा प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों का निष्पादन आदि तथा कार्य की प्रकृति के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान, विभागीय तथा निजी क्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य प्रजाति के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड, केज मत्स्य पालकों को अनुदान पर लाईफ जैकेट, मत्स्य बीज उत्पादकों एवं मत्स्य कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम जैसे ASCI आदि, अधिकाधिक युवाओं/हितधारकों के बीच मत्स्य पालन के लाभ तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए वर्ष में दो बार ग्राम गोष्ठी/कार्यशाला/पंचायत स्तरीय कैंप, उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों को पुरस्कार/सम्मान, रंगीन मछली पालन हेतु सहायता, देश के विभिन्न राज्यों एवं देश के बाहर मात्स्यिकी संबंधी प्रशिक्षण, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस ब्रूडर की तैयारी, एयरैटर का उपयोग, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में CIFRI के सहयोग से जलाशयों में महाझींगा पालन आदि, निजी क्षेत्रों में देशी मांगुर पालन एवं प्रत्यक्षण के साथ-साथ महाझींगा पालन, PMU का गठन, अनुश्रवण की विभिन्न तकनीकों, यथा Block chain Technology आदि का उपयोग तथा मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार JSAC की सहायता से तालाबों का सर्वे एवं सैटेलाइट मैपिंग जैसे कार्य प्रस्तावित हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। मछली पालन क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और आर्थिक कल्याण को मजबूत करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास है। साथ ही आवश्यक innovative परियोजनाओं के साथ ही आवश्यक निर्माण कार्यों आदि हेतु आगामी **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मो0 1630.00 लाख रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

3. झास्कोफिश को अनुदान योजना - मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ के रूप में झास्कोफिश का गठन किया गया है। झास्कोफिश द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं, जैसे फीड मिल का संचालन, मत्स्य वाहिनी योजना आदि के क्रियान्वयन के लिए आगामी **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मो0 475.00 लाख रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

4. मत्स्य विपणन योजना - इस योजना के तहत हाईजेनिक कंडिशन में मत्स्य बिक्री एवं परिवहन हेतु पिक-अप वैन आदि के लिए मत्स्य कृषकों/विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार के साथ-साथ हाईजेनिक कंडिशन में उपभोक्ताओं को मछली उपलब्ध कराना है। उपभोक्ताओं को ताज़ी और साफ़ मछली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुदरा मछली विक्रेताओं को मछली बिक्री किट एवं एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार फिश मार्केट यार्ड/मछली बाजारों के जीर्णोद्धार/निर्माण/विस्तारीकरण आदि भी प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मो0 360.00 लाख रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

5. वेद व्यास आवास योजना - शत्रु प्रतिशत्रु अनुदान पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। कच्चे मकानों में निवास करने वाले मछुआरों/मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं के लिए इस योजना के तहत पक्का आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मो0 775.00 लाख रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

नई पहल -

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक्युआ क्लचर पर्यटन के रूप में मत्स्य को आजीविका के साथ साथ पर्यटन के रूप में विकसीत करने का कार्य किया जाएगा। जिसके लिए कूल 5000 लाख (पचास करोड़) मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना - भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केन्द्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य के मछुआरों/प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/मत्स्य विक्रेताओं/रंगीन मछली पालकों तथा लघु उद्यमियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप तथा डी0एल0सी0 (DLC)/एस0एल0ए0एम0सी0 (SLAMC) से स्वीकृति के पश्चात् प्रक्रियानुरूप अनुदान/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये स्वनियोजित/आत्मनिर्भर हो सकें। इसी योजना अंतर्गत मात्र अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - DAJGUA भी क्रियान्वित की जा रही है इससे राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी तथा मत्स्य बिक्री साधनों को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाते हुये अधिकाधिक आय प्राप्त किया जा सकेगा। PMMSY योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य कार्यक्रम, यथा PM-MKSSY, PMDDKY, Cluster based Pearl Culture आदि का भी क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

साथ ही सक्रिय मछुआरों के आकस्मिक निधन अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 5,00,000/- रु0 मात्र, स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में मो0 2,50,000/- रु0 मात्र के बीमा तथा इसके अतिरिक्त मो0 25,000/-रु0 मात्र तक Hospitalization Expenses हेतु सक्रिय मछुआरों का बीमा कराने की योजना भी इसमें प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश की राशि इस योजना की नोडल एजेंसी एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद को केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विमुक्त की जाती है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत विमुक्त केन्द्रांश मद की राशि के अधिकतम व्यय हेतु लाभुक के अंशदान के विरुद्ध राज्य योजना से टॉप-अप सहायता का भी प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी **वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु कुल मो0 8160.00 लाख रु0 मात्र प्रस्तावित हैं, जिसमें राज्यांश मो0 3660.00 लाख रु0, केन्द्रांश मो0 4500.00 लाख रु0 मात्र है। राज्यांश के तहत स्टेट टॉप अप सहायता (बीमा सहित) के रूप में राज्य सरकार का अंशदान मो0 660.00 लाख रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**